



कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

कमांक/शिका./2019/10-10/ 4202
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/11.19

रजिस्ट्रार,
माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
नई दिल्ली

विषय:—ओ.ए. कमांक 253/2019 द्वारा श्री शिशिर रिछारिया विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

—00—

महोदय,

निवेदन है कि याचिका कमांक ओ.ए. 253/2019 में श्री शिशिर रिछारिया, डिवीजनल सेक्रेटरी (बी.एम.आर.के.पी.) के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत दिनांक 16.01.19 को की गई थी।

उक्त शिकायत में इनके द्वारा यह बताया गया था कि भारतीय रेलवे के द्वारा FLASH BUTT WELDING (FBW) Plant बीना-कटनी तीसरी लाईन के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव में बीना में स्थापित किया जा रहा है। यदि यह प्लांट स्थापित किया जाता है तो 995 हरे-भरे वृक्ष काटे जायेंगे, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं वन्यप्राणियों का रहवास भी खत्म होगा। उक्त शिकायत के तारतम्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा वनमंडलाधिकारी, कटनी से 2 माह में जांच कर वस्तुस्थिति आधारित प्रतिवेदन ई-मेल के द्वारा भेजने हेतु आदेश दिया गया। वनमंडलाधिकारी, कटनी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन कमांक 1561 दिनांक 29.05.19 निम्नानुसार है:—

1. उल्लेखित प्रकरण ओ.ए. कमांक 253/2019 द्वारा श्री शिशिर रिछारिया विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दायर याचिका का संबंध वनमंडल कटनी से नहीं है।
2. उक्त संबंध में याचिकाकर्ता से दूरभाष पर चर्चानुसार यह बताया गया कि प्रकरण में रेलवे द्वारा FLASH BUTT WELDING (FBW) Plant of Bina-Katni third line project proposed in District-Bina में लगाया जा रहा है।

यदि बीना में वह स्थान जहां FPW Plant लगाया जा रहा है, के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है तो संबंधित वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर से जांच कराकर इसका प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

संलग्न:—वनमंडलाधिकारी, कटनी का प्रतिवेदन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

